न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील / आरटीआई / 92 / 2021

मदनलाल पुत्र कन्हैया जाति धीमर बयाना गेट बाहर करबा वैर तहसील वैर जिला भरतपुर।

बनाम

तहसीलदार, भरतपुर।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश

दिनांक 07.12.2021

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि मदनलाल पुत्र कन्हैया जाति धीमर बयाना गेट बाहर करबा वैर तहसील वैर जिला भरतपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 23.08.2021 तहसीलदार, भरतपुर से सूचना चाही गयी थी। तहसीलदार, भरतपुर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक / कोर्ट / 697 दिनांक 09.11.2021 के द्वारा तहसीलदार, भरतपुर से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार, भरतपुर से पत्रांक स्था0 / 21 / 462 दिनांक 06.12.2021 जबाव प्राप्त हुआ है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचना तहसीलदार, भरतपुर ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार, भरतपुर से उक्त बिन्दुओं की सूचना दिलायी जाने की प्रार्थना की है। इस सम्बन्ध में तहसीलदार, भरतपुर से प्राप्त जबाव पत्रांक स्था0 / 21 / 462 दिनांक 06.12.2021 द्वारा अवगत कराया गया है कि अपीलान्ट द्वारा चाही गई सूचना के सबंध में पत्रावली की तलाश की गई किन्तु सर्च नोट जारी किये जाने के बाद भी तलाश में नही मिली है। इस बाबत अपीलान्ट को भी पत्रांक 318 दिनांक 23.09.21 से सूचना दी जा चुकी है। इससे यह जाहिर होता है कि अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, जबकि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थी को अन्दर 30 दिवस कार्यवाही कर सूचना उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार, भरतपुर को निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8, 9 एवं 11 के बाध्यकारी प्रावधानों को मध्येनजर रखते हुये तदोपरान्त ही अपीलार्थी को निःशुल्क सूचना उपलब्ध कराई जावे।

अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। निर्णय की तहसीलदार भरतपुर को पालनार्थ भेजी जावे एवं सूचनार्थ अपीलांट को भी प्रेषित हो।

(हिमान्शु गुप्ता)
जिला कलक्टर
भरतपुर